

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1535 / 2022

दिनांक : 06.05.2022

श्री अजय कुमार शर्मा-II (RJ0265), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी को दिनांक 11.05.2022 से 13.05.2022 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/87/1996/3498

दिनांक 06.05.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी को उनके पत्रांक 237/238 दिनांक 22.04.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री अजय कुमार शर्मा-II (RJ0265), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बून्दी।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी।

6.5.2022
सहायक रजिस्ट्रार